

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 09.09.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-14 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

05 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना कटराबाजार पुलिस ने 04, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.09.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त इमरान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इमरान पुत्र नसीम निवासी महाराजगंज थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-603/22, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 60 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० भानुप्रताप सिंह मय टीमा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.09.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त पंकज यादव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 टेबलेट अल्प्रजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पंकज यादव पुत्र स्व० रामअवतार निवासी पंडितपुरवा गिर्द गोण्डा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-604/22, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 120 टेबलेट अल्प्रजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० राकेश कुमार ओझा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.09.2022

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त रामस्वरूप मिश्रा उर्फ राजू मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 130 टेबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रामरूप मिश्रा उर्फ राजू मिश्रा पुत्र स्व० रामदेव मिश्रा निवासी न्यू इन्द्रानगर कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-601/22, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० ऐक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 130 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता-

उ०नि० जितेन्द्र कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 09.09.2022

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त मिशन शक्ति अभियान के तहत
गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-लकामनेर को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में लड़की की माँ द्वारा थाना मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लकामनेर पुत्र नेवाजे निवासी ग्राम भलुहा मौजा ज्ञानीपुर रामप्रसाद थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 237/2021 धारा 363,504,506,120(B) भादवि थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोंडा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ0नि0 अरविन्द कुमार मय टीम।